रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 34] नई दिल्ली, अक्तूबर 15—अक्तूबर 21, 2017, शनिवार/आश्विन 23—आश्विन 29, 1939

No. 34] NEW DELHI, OCTOBER 15—OCTOBER 21, 2017, SATURDAY/ASVINA 23—ASVINA 29, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश

Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2017

का.नि.आ. 82.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और तटरक्षक संगठन समूह 'क' और समूह 'ख' (भंडारण काडर) भर्ती नियम, 2013 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है; रक्षा मंत्रालय के अधीन तटरक्षक संगठन में ज्येष्ठ सिविलियन स्टाफ अधिकारी (संभार तंत्र), सिविलियन स्टाफ अधिकारी (संभार तंत्र), सिविलियन राजपत्रित अधिकारी (संभार तंत्र) और फोरमैन (भंडार) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तटरक्षक संगठन (रक्षा मंत्रालय) समूह 'क' और समूह 'ख' (भंडारण काडर) भर्ती नियम, 2017 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति:- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (नौसेना), रक्षा मंत्रालय - सदस्य 3. निदेशक (संभार तंत्र), तटरक्षक मुख्यालय - सदस्य 4. निदेशक (कार्मिक), तटरक्षक मुख्यालय - सदस्य **समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति:—** 1. संयुक्त सचिव (नौसेना), रक्षा मंत्रालय - अध्यक्ष 2. निदेशक (संभार तंत्र), तटरक्षक मुख्यालय - सदस्य 3. निदेशक (कार्मिक), तटरक्षक मुख्यालय - सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. सिविलियन राजपत्रित अधिकारी (संभार तंत्र)	17' (2017) 'कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-7 (44900-142400 रु.)	चयन पद	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसमें अल्पावधि संविदा भी है, 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसमें अल्पावधि संविदा भी है।	**प्रोन्नति:** वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 में तटरक्षक संगठन के ऐसे फोरमैन (भंडार) जिन्होंने उस पद पर नियुक्त होने के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और जिन्होंने सरकारी या किसी अन्य संगठन के संस्थान में निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो:- (i) सरकारी कार्यालयों में संगठनात्मक व्यवहार में एक सप्ताह का प्रशिक्षण (ii) क्रय प्रबंधन में तीन दिवसीय प्रशिक्षण **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली

	है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **<u>प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित)</u>** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या कानूनी या स्वायत्त संगठनों या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्धशासकीय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 या समतुल्य पद पर नियुक्त होने के पश्चात उस श्रेणी में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हैं:- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की उपाधि; (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामग्री प्रबंधन में डिप्लोमा या कोई ऐसा डिप्लोमा जिसमें सामग्री प्रबंधन एक विषय के रूप में रहा हो; और (iii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभाग या पब्लिक सेक्टर उपक्रम में भंडार प्रशासन और लेखा का तीन वर्ष का अनुभव **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पावधि संविदा सहित), जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पावधि संविदा सहित) है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. उपमहानिदेशक, (मानव संसाधन विकास) तटरक्षक मुख्यालय - अध्यक्ष 2. निदेशक/उपसचिव (नौसेना-II), रक्षा मंत्रालय - सदस्य 3. निदेशक (कार्मिक), तटरक्षक मुख्यालय - सदस्य 4. निदेशक (संभार तंत्र), तटरक्षक मुख्यालय - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. फोरमैन (भंडार)	45* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-6 (35400-112400 रु.)	चयन पद	तीस वर्ष से अनधिक **टिप्पण 1:** केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण** 2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)
आवश्यक:- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यिकी या व्यावसायिक अध्ययन या लोक प्रशासन विषय के साथ मास्टर उपाधि। (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या कानूनी या स्वायत्त संगठनों या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या बैंकों या किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी प्राइवेट सेक्टर संगठन से भंडार नियंत्रण और भंडार में लेखा अनुरक्षण संबंधी एक वर्ष का अनुभव अथवा (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यिकी या व्यावसायिक अध्ययन या लोक प्रशासन विषय के साथ स्नातक की उपाधि अथवा (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामग्री प्रबंधन या भंडागार प्रबंधन या क्रय या लोक संभार तंत्र उपापन में डिप्लोमा (iii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या कानूनी या स्वायत्त संगठनों या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या बैंकों या किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी प्राइवेट सेक्टर संगठन से भंडार नियंत्रण और भंडार में लेखा अनुरक्षण संबंधी दो वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती और प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2**: अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		

(10)	(11)
40 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसमें अल्पावधि संविदा भी है, 60 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा जिसमें अल्पावधि संविदा भी है।	**प्रोन्नति:** वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 में तटरक्षक संगठन के ऐसे भंडारी श्रेणी 1 जिन्होंने उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में नियमित आधार पर दस वर्ष की सेवा की हो और जिन्होंने सरकारी या किसी अन्य सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थान से निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो:- (i) सरकारी कार्यालयों में क्रय प्रबंधन में तीन दिवसीय प्रशिक्षण (ii) संवाद कौशल में तीन दिवसीय प्रशिक्षण **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित)** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या कानूनी या स्वायत्त संगठनों या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या अर्द्धशासकीय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग मे नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 या समतुल्य पद पर नियुक्त होने के पश्चात उस श्रेणी में नियमित आधार पर छह वर्ष की सेवा की हो; और (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 या समतुल्य पद पर नियुक्त होने के पश्चात उस श्रेणी में नियमित आधार पर दस वर्ष की सेवा की हो; और

	(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अहर्ताएं और अनुभव हैं। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति/आमेलन पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पावधि संविदा सहित), जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पावधि संविदा सहित) है साधरणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: 1. निदेशक (कार्मिक), तटरक्षक मुख्यालय - अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक (संभार तंत्र), तटरक्षक मुख्यालय - सदस्य 3. ज्येष्ठ सिविलियन स्टाफ अधिकारी, तटरक्षक मुख्यालय - सदस्य 4. सिविलियन स्टाफ अधिकारी, तटरक्षक मुख्यालय - सदस्य **समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति:—** 1. निदेशक (कार्मिक), तटरक्षक मुख्यालय - अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक (संभार तंत्र), तटरक्षक मुख्यालय - सदस्य 3. ज्येष्ठ सिविलियन स्टाफ अधिकारी, तटरक्षक मुख्यालय - सदस्य 4. सिविलियन स्टाफ अधिकारी, तटरक्षक मुख्यालय - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. सीपी/0601/भंडार काडर/659/डी(सीजी)/2017]

सुधीर बाबू मोटाना, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 11th October, 2017

S.R.O. 82.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Coast Guard Organisation Group 'A', and Group 'B', (Storekeeping Cadre) Recruitment Rules, 2013 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Civilian Staff Officer (Logistics), Civilian Staff Officer (Logistics), Civilian Gazetted Officer (Logistics) & Foreman of Stores in Coast Guard Organisation, Ministry of Defence namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Coast Guard Organisation Group `A' and Group 'B' (Store Keeping Cadre) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

(12)		(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee Consisting of :		Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.
1. Chairman or Member, Union Public Service Commission	-Chairman	
2. Joint Secretary (Navy), Ministry of Defence	-Member	
3. Director (Logistics), Coast Guard Headquarters	-Member	
4. Director (Personnel), Coast Guard Headquarters	-Member	
Group 'A' Departmental Confirmation Committee Consisting of :—		
1. Joint Secretary (Navy), Ministry of Defence	- Chairman	
2. Director (Logistics), Coast Guard Headquarters	-Member	
3. Director (Personnel), Coast Guard Headquarters	-Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Civilian Gazetted Officer(Logistics).	17*(2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7 (Rs.44900-142400).	Selection post

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
50% by promotion failing which by deputation Including Short-Term Contract., 50% by deputation Including Short-Term Contract.	**Promotion:** Foreman of Stores of Coast Guard Organisation in level-6 in the pay matrix with five years' service in the grade rendered after the appointment thereto on a regular basis who have successfully completed the following training programme from Government or any other Government recognised Institute:- (i) One week Training in Organisational Behaviour in Government Offices. (ii) Three days training in Purchase Management. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (Including Short- Term Contract):** Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Statutory or Autonomous Organisations or Universities or Public Sector Undertaking or Semi-Governments or Recognised Research Institute; (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-6 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and

	(b) Possessing the following educational qualification and experience:- (i) A Bachelor's degree of a recognised University or Institute; (ii) Diploma in Material Management or any Diploma with Material Management as a subject from a recognised University or Institute; and (iii) Three years experience in Store Administration and Accounting in a Central Government or State Government department or Public Sector Undertaking. **Note : 1** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note : 2** Period of deputation (Including Short-Term Contract) Including period of deputation (Including-Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (Including Short-Term Contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee Consisting of :— 1. Deputy Director General (HRD), Coast Guard Headquarters - Chairman 2. Director or Deputy Secretary(Navy-II), Ministry of Defence -Member 3. Director (Personnel), Coast Guard Headquarters - Member 4. Director (Logistics), Coast Guard Headquarters -Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Foreman of Stores.	45*(2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non- Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 (Rs.35400-112400)	Selection post

(6)	(7)	(8)	(9)
Not exceeding 30 years. **Note : 1** Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note : 2** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul and Spiti	**Essential :** (i) Master Degree with Economics or Commerce or Statistics or Business Studies or Public Administration from recognised University or Institute. (ii) One year experience in handling stores and keeping accounts in store in a concern of Central Government or State Government or Statutory or Autonomous Organisation or Public Sector Undertaking or University or any recognised Institutions or Bank or in a private sector Organisation listed on the Stock Exchange of India. OR (i) Bachelor degree in Economics or Commerce or Statistics or Business	Not applicable	2 years for direct recruits and promotees.

District and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).	Studies or Public Administration as a subject from a recognised University or Institute. or (ii) Diploma in Material Management or Warehousing Management or Purchasing or Logistics Public procurement from recognised University or Institute. (iii) two year experience in handling stores and keeping accounts in store or a concern of Central Government or State Governments or Statutory or Autonomous Organisation or Public Sector Undertaking or University or any recognised Institutions or Bank or in a private sector organisation listed on the Stock Exchange of India. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.		

(10)	(11)
40% by promotion failing which by deputation Including Short-Term Contract, 60% by deputation Including Short-Term Contract failing which by Direct Recruitment.	**Promotion:** Storekeeper Grade-I of Coast Guard Organisation in level-4 in the pay matrix with ten years service in the grade rendered after the appointment thereto on a regular basis who have successfully completed the following training programme from Government or any other Government recognised Institute:- (i) Three days training in Purchase Management in Government Offices. (ii) Three days training in Communication Skills **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (Including Short- Term Contract):** Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or Statutory or autonomous organisations or Universities or Public Sector Undertaking or Semi-Governments or recognised Research Institute:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

	(ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-5 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-4 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the qualification and experience prescribed for direct Recruits as mentioned in column (7). **Note : 1** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation/absorption. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note : 2** Period of deputation (Including Short-Term Contract) including period of deputation (Including Short-Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (Including Short-Term Contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

(12)		(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee Consisting of :		Consultation with Union Public Service Commission not necessary.
1. Director (Personnel), Coast Guard Headquarters	- Chairman	
2. Joint Director (Logistics), Coast Guard Headquarters	- Member	
3. Senior Civilian Staff Officer, Coast Guard Headquarters	- Member	
4. Civilian Staff Officer, Coast Guard Headquarters	-Member	
Group 'B' Departmental Confirmation Committee :		
1. Director (Personnel), Coast Guard Headquarters	- Chairman	
2. Joint Director (Logistics), Coast Guard Headquarters	- Member	
3. Senior Civilian Staff Officer, Coast Guard Headquarters	- Member	
4. Civilian Staff Officer, Coast Guard Headquarters	-Member	

[F. No. CP/0601/Store Cadre/659/D(CG)/2017]

SUDHEER BABU MOTANA, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2017

का.नि.आ. 83.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा मंत्रालय, सेना आर्डनेंस कोर, आर्डनेंस आफिसर सिविल (प्रशासन) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2005 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सेना के निम्नतर विरचना सेना आर्डनेंस कोर, रक्षा मंत्रालय में आर्डनेंस आफिसर सिविलियन (प्रशासन), के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, रक्षा मंत्रालय सेना आर्डनेंस कोर, आर्डनेंस ऑफिसर सिविल (प्रशासन) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2017 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।